

GOVT. OF BIHAR
BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE EXAMINATION BOARD
I.A.S. Association Building, Near Patna Airport, Patna-14.

Adv. No.- BCECEB(UGMAC)-2020/09 Dated 20.12.2020

UGMAC-2020 के आधार पर राजकीय/ निजी मेडिकल/ डेंटल एवं पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की सीटों पर दिनांक 05.12.2020 से 09.12.2020 तक हुए सीट आवंटन उपरांत रिक्त रह गये सीटों पर नामांकन हेतु द्वितीय चक्र ऑनलाईन काउन्सेलिंग कार्यक्रम से सम्बन्धित आवश्यक सूचना

पर्षद के विज्ञापन संख्या-BCECEB(UGMAC)-2020/05 दिनांक 27.11.2020 एवं 2020/07 दिनांक 28.11.2020 के क्रम में UGMAC-2020 से सम्बन्धित सभी अभ्यर्थियों / संस्थानों / सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 05.12.2020 से दिनांक 09.12.2020 तक प्रथम चक्र काउन्सेलिंग में हुए सीट आवंटन एवं नामांकन के पश्चात् रिक्त रह गये सीटों के लिए द्वितीय चक्र की Online Counselling अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई थी जो अब दिनांक 22.12.2020 से निम्न कार्यक्रम अनुसार आयोजित होगी;

- i. Uploading of seat matrix for 2nd counselling : 22.12.2020
- ii. Provisional Seat Allotment Result Publication date : 22.12.2020 (5:00 P.M.)
- iii. Downloading of Provisional Allotment Order / Booking of slots for Document verification : 22.12.2020 to 24.12.2020
- iv. Document Verification and Admission : 23.12.2020 to 24.12.2020

- नोट :** (a) वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउन्सेलिंग में निर्धारित तिथि तक Document Verification हेतु Report नहीं किये हैं, वे द्वितीय काउन्सेलिंग के लिए पात्रता-प्राप्त नहीं होंगे।
- (b) वैसे अभ्यर्थी जो द्वितीय काउन्सेलिंग में upgrade हुए हैं, उन्हें document verification एवं नामांकन हेतु प्रथम काउन्सेलिंग का document verification slip साथ लाना अनिवार्य है।
- (c) द्वितीय काउन्सेलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों को Document Verification के पश्चात् on-spot नामांकन कराना अनिवार्य होगा, जिसके लिए नामांकन शुल्क Demand Draft द्वारा / Online जमा करना होगा।
- (2) वैसे अभ्यर्थी जिनका द्वितीय काउन्सेलिंग में upgrade हुआ है, उन्हें अपने द्वितीय काउन्सेलिंग के आधार पर आवंटित संस्थान के Fee structure के अनुसार शेष राशि का Demand Draft संबंधित संस्थान के नाम से बना कर साथ लाना होगा या online जमा करना होगा अन्यथा आवंटन रद्द कर दिया जायेगा एवं प्रथम काउन्सेलिंग के Document Verification के समय जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
- (3) वैसे अभ्यर्थी जिनका आवंटन प्रथम काउन्सेलिंग में नहीं हुआ है एवं द्वितीय काउन्सेलिंग में आवंटन हुआ है, वैसे अभ्यर्थी को Document Verification के समय आवंटित संस्थान के Fee structure के अनुसार कुल राशि का Demand Draft संबंधित संस्थान के नाम से बना कर लाना होगा या online जमा करना होगा अन्यथा उनका आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।
- (4) सभी संस्थानों का Fee structure पर्षद के website : bceceboard.bihar.gov.in पर उपलब्ध है।
- (5) पूर्व प्रकाशित विज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

परीक्षा नियंत्रक